(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 09 / 2026

पंजीकरण संख्या :– 2026 / 28

बउनवान

सुगनाबाई पुत्री बाबूलाल पत्नि मुकेश जाति भील निवासी खेडलाजागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ (अपीलांट)

बनाम

1– तहसीलदार, तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ (राज.)
2– गंगाराम पुत्र रामगोपाल भील निवासी खेडलाजागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ (राज.)
3– लेखराज पुत्र रामगोपाल भील निवासी खेडलाजागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ
4– मोहनीबाई पुत्री रामगोपाल भील निवासी खेडलाजागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
5– लीलाबाई पुत्री रामगोपाल भील निवासी खेडलाजागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
6– गिर्राजबाई पुत्री बाबूलाल भील निवासी खेडलाजागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
7– मनभरबाई पुत्री बाबूलाल भील निवासी खेडलाजागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्व तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी नामांतरण संख्या 664 दिनांक 05.03.2025 वाके ग्राम खेडलाजागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री गोविंद गौतम अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पो. क्रम 1)
3– श्री दीपक गुर्जर अभिभाषक (रेस्पो. क्रम 2 ता 7)

निर्णय दिनांक 08.05.2026

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद जिला बारॉ के तस्दीकी नामांतरण संख्या 664 दिनांक 05.03.2025 वाके ग्राम खेडलाजागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ (राज.) से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 08.04.2026 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पो. क्रम 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। रेस्पो. क्रम 2 ता 7 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई। अपीलांट के अभिभाषक की सर्वप्रथम लिमिटेशन प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई, जो स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील मेमो के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि आराजी खसरा नं. 115 रकबा 0.4937 हे., खसरा नं. 265 रकबा 1.3516 हे., खसरा नं. 73 रकबा 0.2023 हे., किता 4 रकबा 2.9055 हे. ग्राम खेडलाजागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां में स्थित है जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 143 संवत् 2076 ता 79 से संपूर्ण अपीलांट के दादा श्री रामगोपाल पुत्र भैरूलाल जाति भील निवासी खेडलाजागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारां में स्थित है जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 44 संवत् 2076 ता 79 से हिस्सा 3 / 8 से अपीलांट के दादा श्री रामगोपाल के खातेदारी में दर्ज जमाबंदी थी। अपीलांट के दादा रामगोपाल का स्वर्गवास होने पर उनका फौती इंतकाल संख्या 664 ग्राम खेडलाजागीर रेस्पो. क्रम 01 द्वारा निर्णित किया है। इंतकाल के साथ संलग्न पटवार मंडल खेडलाजागीर द्वारा संलग्न वारिस प्रमाणपत्र में अपीलांट के पिता बाबूलाल व माता धापूबाई को फौत होना माना है लेकिन कोई पुत्र–पुत्री होना दर्ज नहीं किया है जबकि अपीलांट के पिता बाबूलाल के तीन पुत्रियां

अपीलांट व रेस्पो. क्रम 6 व 7 मौजूद होने के बावजूद भी उनका नाम इंतकाल में दर्ज नहीं किया है। रेस्पो. क्रम 2 ता 5 ने रेस्पो. क्रम 1 व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से सांठगांठ करके बिना मृतक रामगोपाल के सभी वारिसान की निष्पक्ष जांच किये अपीलांट व रेस्पो. क्रम 6 व 7 के साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित करने की नियत से उक्त इंतकाल निर्णित किया है जिससे अपीलांट का नाम मृतक रामगोपाल के पुत्र बाबूलाल की जायज वारिसान होने के बावजूद भी दर्ज नहीं किया है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 664 ग्राम खेडलाजागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां को निरस्त फरमाया जाकर मृतक खातेदार रामगोपाल का पुनः फौती इंतकाल निर्णित किया जावे जिसमें अपीलांट व रेस्पो. क्रम 6 व 7 को रेस्पो. क्रम 2 ता 5 के समान हक व हिस्सा प्राप्त हो।

रेस्पो. कम 2 ता 7 के द्वारा स्वयं मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया कि इंतकाल संख्या 664 दिनांक 05.03.2025 वाके ग्राम खेडलाजागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ (राज.) खारिज करवाने हेतु सभी सहमत है। नियमानुसार मृतक खातेदार रामगोपाल के विधिक वारिसान की जांच कर नए सिरे से इंतकाल तस्दीक किया जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में रेस्पो. क्रम 2 ता 7 द्वारा भी इस न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि उक्त इंतकाल को खारिज किये जाने में सहमत है। प्रकरण में तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा इंतकाल संख्या 664 दिनांक 05.03.2025 वाके ग्राम खेडलाजागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ (राज.) तस्दीक किया गया है जिसमें मृतक खातेदार रामगोपाल के समस्त विधिक वारिसान के नाम दर्ज किया जाना नहीं पाया गया।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा तस्दीकी इंतकाल संख्या 664 दिनांक 05.03.2025 वाके ग्राम खेडलाजागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, छीपाबड़ौद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में (मृतक) रामगोपाल के विधिक वारिसान की विस्तृत जांच करवाई जाकर, विधिक प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार फौती नामांतरण नए सिरे से तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक **08.05.2026** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ